संख्या-70/2016- 1131/नौ-5-15-189बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2016

विषयः: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाली गयी सीवर लाइन को जनापयोगी बनाने हेतु हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु तृतीय किश्त को अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 61/नागर-2/033-410/16, दिनांक 16.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-175/2015 -1179/नौ-5-15-189बजट/2014 दिनांक 12-06-2015 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यकमों के अन्तर्गत डाली गयी सीवर लाइन को जनोपयोगी बनाने हेतु हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु निर्धारित लागत रू0 3765.52 के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-11/2016-6330/नौ-5-15-189बजट/2014, दिनांक 15-01-2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख अर्थात कुल रू0 400.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-175/2015-1179/नौ-5-15-189बजट/2014 दिनांक 12-06-2015 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/ उप सचिव,, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पीएलए/डिपाजित खाते में नही रखी जायेगी ।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

go finance mangal font

shasnadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(10) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(11) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्ष "2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवायें-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्ष "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 71/2016- 1131/नौ-5-15-189बजट2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आगरा ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवायें-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	750000	20000	20000	20000	730000
योग	750000	20000	20000	20000	730000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	170000	20000	20000	170000
योग	150000	170000	20000	20000	170000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:
नगर निगम के माइनर हेड में सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 736-ई-8-776/दस-2016, दिनांक 30 मार्च, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-1131 (1)/नौ-5-2016-189बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ। / आगरा।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,30प्र0 लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- महा प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा ।
7- मुख्य अभियन्ता (आ0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, आगरा।
8- नगर आयुक्त,नगर निगम, आगरा ।
7- अधिशासी अभियंता, 30प्र0 जल निगम, आगरा।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-30/03/2016

प्रेषण संख्या:- 70

आवंटन आदेश संख्या:- 001-70-2016-1131-9-5-15-189B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	721980000	721980000
	योग	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	721980000	721980000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बहत्तर करोड़ उनीस लाख अस्सी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी